रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235143 CG-DL-E-13042022-235143

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] No. 283] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

सं. 21/2022 सीमा शुल्क

सा.का.नि. 297(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) कि धारा 124 (जिसे तत्त्पश्चात उक्त धारा के द्वारा सम्बोधित किया गया है) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) कि प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयत किया गया हो, उन पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक होती हो और उक्त धारा के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट एआईडीसी दर से संगणित राशि से अधिक होती हो. यथा: -

2687 GI/2022 (1)

सारणी

क्र. सं.	प्रथम अनुसूची का अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मानक दर	एआईडीसी दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5201	सभी वस्तुएं	Nil	Nil

2. यह अधिसूचना 14 अप्रैल, 2022 से लागू होगी और 30 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[मि. सं. CBIC-190354/288/2021-TRU]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

No. 21/2022-Customs

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021) (hereinafter referred to as the said section), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and from so much of the Agriculture Infrastructure and Development Cess (hereinafter referred to as AIDC) leviable thereon under the said section, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column (5) of the said Table, namely: -

TABLE

S.No.	Chapter, Heading, sub- heading or tariff item	Description of goods	Standard Rate	AIDC Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5201	All goods	Nil	Nil

^{2.} This notification shall come into effect on the 14th April, 2022, and will remain in force up to and inclusive of the 30th September, 2022.

[F. No. CBIC-190354/288/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.